रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D. N)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 22, 1985/आषाढ़ 1, 1907

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 22, 1985/Asadha 1, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 जून, 1985

शुद्धि-पत्र

सा. का. नि. 583.—इस मंत्रालय की तारीख 7 मई, 1985 की समसंख्यक अधिसूचना का आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित शुद्धियाँ/परिवर्तन नोट किये जाएं :—

1. उक्त अधिसूचना की प्रस्तावना की पांचवीं पंक्ति में उल्लिखत "28 मई, 1985" को "28 मई, 1981" पढ़ा जाए।

2. अनुसूची के कालम 12 में मौजूदा प्रविष्टि से पहले "ग्रुप 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थानान्तरित अधिकारियों के स्थायीकरण पर विचार करने के लिए" शब्द जोड़े जाएं।

[सं. 5/3/84-एन. ई.-II]

कुमारी नीरू नन्दा, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 5th June, 1985

CORRIGENDUM

G.S.R. 583.—In partial notification of the Ministry's Notification of even number dated 7th May, 1985 the following correction/addition may be noted :—

"28th May, 1985" appeared in line 5 in the preamble of the covering notification may be read as "28th May, 1981".

2. The words "Group 'B' DPC (for considering confirmation of the transferee officers)" may be added before the existing entry in Column 12 of the Schedule.

[No. 5/3/84-NE-II]

MISS. NEERU NANDA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 7 जून, 1985

शुद्धि-पत्र

सा. का. नि. 584.—भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3(i), तारीख 7 अप्रैल, 1984 के पृष्ठ 826 से 828 पर प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का. नि. 345, तारीख 24 मार्च, 1984 की अनुसूची के स्तंभ 2 की पंक्ति 1 में—

"1(एक)" के स्थान पर "1(1984)" पढ़ें।

[सं. 4/1/80-आई. सी. एफ. एस./पर्स-1]

एम. एस. शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 7th June, 1985

CORRIGENDUM

G.S.R. 584.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. GSR 345, dated the 24th March, 1984, published in the Gazette of India,

345 GI/85—1.

अतः केन्द्रीय सरकार, वायुयान के अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (संशोधन नियम) 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम 1937 की अनुसूची 1 में मद सं (2) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(3) राष्ट्रपति भवन के चारों ओर का वह क्षेत्र जो निम्नलिखित समन्वय बिन्दुओं द्वारा आबद्ध है:

2837	उ	771145	पू	
2837	उ	771230	पू	
283630	उ	771230	पू	पूर्ण
283630	उ	771145	पू	

इसका विस्तार भूतल से उर्ध्व की ओर असीमित ऊंचाई तक है।"

[फा.सं.ए.वी. 11012/10/82-ए]

शांतनु कंसल, उपसचिव

पाद टिप्पण:—मूल नियम (वायुयान नियम, 1937), अधिसूचना सं० V-26, तारीख 24 मार्च, 1937 द्वारा भारत के राजपत्र भाग-I दिनांक 27-3-1937 में प्रकाशित किए गए थे।

नए नियम सं. सा.का.नि. 1113 तारीख 26 सितम्बर, 1973 द्वारा अंतःस्थापित किए गए।

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 1st June, 1985

G.S.R. 604.—Whereas certain draft rules further to amend the Aircraft Rules 1937 were published with the notification of the Government in the Ministry of Tourism and Civil Aviation No. GSR 777, dated the 4th July, 1984, at page 1840 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 21st July 1984, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of three months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette :—

And whereas, the said Gazette was made available to the public on the 21st July 1984;

And whereas no objections or suggestions have been received from the public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act 1934 (22 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules 1937, namely :—

1. (1) These rules may be called Aircraft (Fourth Amendment) Rules 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I to the Aircraft Rules 1937, after item No. (2) and entries relating thereto the following item and entries shall be inserted, namely :—

"(3) The area around Rashtrapati Bhawan bounded by following co-ordinates :

2837	N	771145	E	
2837	N	771230	E	Absolute
283630	N	771230	E	
283630	N	771145	E	

extending vertically from ground level to an unlimited upper level"

[F. No. AV. 11012/10/82-A]

S. CONSUL, Dy. Secy.

NOTE.—Principal rules (Aircraft Rules 1937) published vide notification No. V-26 dated the 23rd March 1937 in the Gazette of India (Part I) dated 27-3-1937, Subsequently amended by notification No. GSR 1567 dated 16th November 1962 and GSR No 1655 dated 12th November, 1965.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली 7 मई 1985

सा. का. नि. 605 —राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह ग पद) भर्ती नियम, 1979 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह ग पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. आकाशवाणी (समूह ग पद) भर्ती नियम, 1979 की अनुसूची में इंजीनियरी सहायक के पद से संबंधित क्रम सं. 1* के सामने—

(क) स्तम्भ सं. 3 में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा— "(1564) (1983*). कार्य के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है;

(ख) स्तम्भ 12 में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:—

"प्रोन्नति

आकाशवाणी/दूरदर्शन में के ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी के काडर में से, जिन्होंने उस श्रेणी में या किसी उच्चतर श्रेणी में कुल मिलाकर 5 वर्ष नियमित सेवा की है;

सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा:—

ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी, जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष नियमित सेवा की है या ऐसे मास्टर तकनीकी, डीजल तकनीकी जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है;

(ग) स्तम्भ सं. 13 में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:—

"विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

(1) प्रशासन से संबंधित निदेशक (इंजीनियरी)—अध्यक्ष

(2) आकाशवाणी/दूरदर्शन से उप निदेशक (इंजीनियरी) के स्तर का कोई इंजीनियरी अधिकारी, जो प्रशासन से संबंधित हो—सदस्य

(3) किसी अन्य विभाग से समुचित स्तर का कोई अधिकारी जिसके पास अपेक्षित तकनीकी सक्षमता हो—सदस्य"

पाद टिप्पण:—आकाशवाणी (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1964, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1976 तारीख 30 नवम्बर, 1964 द्वारा प्रख्यापित किए गए थे। तत्पश्चात् उन्हें भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं. 704/11/77-बी (डी) तारीख 10 मई, 1979 के अधीन सा. का. नि. 762 तारीख 2 जून, 1979 द्वारा भागतः अधिक्रांत किया गया था, और उनका भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 704/11/77-बी (डी) दिनांक 7 जनवरी, 1981 के अधीन सा. का. नि. 150 तारीख 7-2-1981 द्वारा संशोधन किया गया।

[सं. 310/10/82-बी (डी)]

इकबाल कृष्ण, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 7th May, 1985

G.S.R. 605.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All Indio Radio (Group C posts) Recruitment Rules 1979, namely :—

2. (i) These rules may be called the All India Radio (Group C posts) Recruitment (Amendment) Rules 1985.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Schedule to the All India Radio (Group C posts) Recruitment Rules 1979, against serial No. 1, relating to the post of Engineering Assistant,—

(a) in column No. 3, for the entries, the following shall be substituted,—
"1564*
(1982)

*Subject to variation dependent on work-load";

(b) in column No. 12. for the entries, the following shall be substituted,—

"Promotion

From amongst the cadre of senior technicians in All India Radio|Doordarshan with 5 years total regular service in the grade or in a higher grade.

Limited Departmental Competitive Examination :

Senior technicians who have put in a minimum of 5 years' regular service in the grade or master technicians/diesel technicians who have put in 8 years of regular service in the grade.";

(c) in column No. 13, for the entries, the following shall be substituted,—

"Departmental Promotion Committee consisting of, :—

(i) Director (Engineering) dealing with administration. ...Chairman

(ii) An Engineering Officer of the level of Deputy Director (Engineering) from All India Radio|Doordarshan dealing with administration. ...Member

(iii) An officer of another Department of appropriate level having requisite technical competence. Member"

Foot note : All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules 1964 were promulgated vide Ministry of Information and Broadcasting Notification No. GSR 1976 dated 30th November, 1964. Subsequently, superceded partially under the Notification of the Government of India in the Ministry of I&B No. 704/11/77-B(D), dated 10th May, 1979, with G.S.R. No. 762, dated 2nd June, 1979, and amended under the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 704/11/77-B(D), dated 7th January, 1981, with GSR No. 150, dated 7th February, 1981.

[No. 310|10|82-B(D)]
IQBAL KRISHAN, Under Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 3 जून, 1985

सा. का. नि. 606.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय (समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 में, "तकनीकी सहायक (व्यावसायिक मार्गदर्शन)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहां जहां वे आते हैं, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :—

"कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक"

[सं. डी. जी. ई. टी.-1-11020/3/84-प्रशा.-I]
[शशि भूषण, अवर सचिव]

MINISTRY OF LABOUR
(Directorate General of Employment & Training)

New Delhi, the 3rd June, 1985

G.S.R. 606.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate General of Employment and Training (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1964, namely :—

1. (i) These rules may be called the Directorate General of Employment and Training (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1984.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate General of Employment and Training (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1964, for the words and brackets, "Technical Assistant (Vocational Guidance)" wherever they occur, the following entry shall be substituted, namely :—

"Junior Scientific Assistant".

[No. DGET-I-11020|3|84-Adm-I]
SHASHI BHUSHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 जून, 1985

सा. का. नि. 607.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशालय, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान (समूह "क" और समूह "ख" तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महानिदेशालय, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान (समूह "क" और समूह "ख" तकनीकी पद भर्ती) (संशोधन) नियम, 1985 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।